



कार्यालय-अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।



Email id: nodalofficerddn@gmail.com

Phone/Fax: 0135 2767611

वन संरक्षण
उत्तराखण्ड

संख्या:- 2373 / FP/UK/ROAD/53059/2020 देहरादून: दिनांक: 15 अप्रैल, 2023

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,
25 सुभाष रोड़, देहरादून।

विषय:- जनपद अल्मोड़ा में द्वारसों काकड़ीघाट मोटर मार्ग से सुनियाकोट कोटुली तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.628 है० वन भूमि का लो०नि०वि० को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ :- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून की पत्र संख्या 8B/UCP/06/55/2022/FC/653 दिनांक 02.08.2022

महोदय,

विषयांकित प्रकरण पर भारत सरकार के उपरोक्त सन्दर्भित EDS दिनांक 02.08.2022 के सम्बन्ध में वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा के पत्रांक 2659/12-1 (2) दिनांक 23.03.2023 द्वारा बिन्दुवार आख्या प्रेषित की गयी है, जिसे निम्नानुसार संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है :-

क्र० सं०	आपत्ति	निराकरण
1	The location of all the villages to be connected by the proposed route are not marked on the KML file. Hence, a correct KML file with location of all the villages marked be uploaded.	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि के०एम०एल० फाईल में लाभान्वित होने वाले ग्राम अंकित कर लिये गये हैं।
2	In the part II, column 4 (ii) enumeration details of only the affected trees falling in the forest land only must be provided. Further, the enumeration details of the affected trees be provided only in the 7m width of the proposed 9m width road. Accordingly, the tree enumeration details be corrected.	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि वृक्षों की गणना 7 मी० चौड़ाई में करा ली गयी है। गणना सूची पार्ट-I के अतिरिक्त सूचनाओं के बिन्दु संख्या 49 में अपलोड कर ली गयी है।
3	As per the DSS analysis of the proposed CA area, 1.00 Ha. area and 4.0 ha. area are found to be VDF and MDF respectively which is not suitable for raising 1000 trees per Ha. Accordingly, the State Govt. is requested to revisit the area for its suitability and provided CA area having vegetation density below 0.4	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त मोटर मार्ग के क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चन्थरिया कक्ष सं० 12 से 5.256 है० नयी योजना तैयार कर प्रेषित की जा रही है।

4	The proposed route as well as the alternative route does not seem to be the alignments with least possible distance connection the villages. The State Govt. is requested to ensure that the user agency will explore the alignment with the least possible distance between the villages to be benefitted and submit the same to this office.	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावित वैकल्पिक दोनों समरेखणों से समस्त ग्रामों को जोड़ने से प्रयास किये गये हैं। ग्राम सुनियाकोट के समीप पहाड़ अत्यधिक ढलान में होने के कारण मोटर मार्ग को गांव के समीप ले जाना सम्भव नहीं हो पाया है।
---	--	---

अतः प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रेषित प्रतिउत्तर के कम में प्रश्नगत प्रकरण पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें।

संलग्न-यथोपरि।

भवदीय,

(एस0एस0 रसाईली)

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण।

संख्या 2373 / FP/UK/ROAD/53059/2020 तददिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊं वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा के पत्रांक 2659/12-1 (2) दिनांक 23.03.2023 के कम में।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।

9/2

(एस0एस0 रसाईली)

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण।